झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

वार्षिक इंटरमीडिएट (कला संकाय) परीक्षा, 2019 के परीक्षाफल में संशोधन एवं उत्तरपुस्तिकाओं के पुनरीक्षण से संबंधित आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 40/2019

एतद् द्वारा सभी छात्र/छात्राओं, अभिभावकों एवं महाविद्यालयों/+2 विद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा–2019 के कला संकाय के जिन छात्रों के अंक पत्रक में किसी भी प्रकार की अभ्युक्ति यथा Invalid, Witheld, Incomplete, Absent अंकित है तो संबंधित +2 विद्यालय/महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों (पंजीयन रसीद, प्रवेश पत्र और अंक पत्र) की छाया प्रति लगाकर परिषद् कार्यालय में **दिनांक 21.06.2019** तक किसी भी कार्य दिवस को जमा किया जा सकता है। इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं है। **निर्धारित तिथि के उपरान्त परीक्षाफल में किसी भी प्रकार का संशोधन हेतु आवेदन परिषद् में स्वीकार नहीं किया जायेगा।** उक्त आवेदन परिषद् कार्यालय, राँची, संथाल परगना प्रमण्डल के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका एवं पलामू प्रमण्डल के लिए प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर में निर्धारित अवधि तक जमा किये जायेंगे।

2) जो छात्र/छात्रा अपने विषय/विषयों के प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं है, वे स्क्रुटनी के लिए अपने +2 विद्यालय/महाविद्यालय के प्रधान के द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्र के साथ ₹500/– (पाँच सौ रूपये) मात्र प्रति विषय की दर से शुल्क की कुल राशि **"JAC FUND"** के नाम से देय एवं राँची में भुगतेय, संथाल परगना प्रमण्डल के लिए दुमका में भुगतेय तथा पलामू प्रमण्डल के लिए डाल्टेनगंज में भुगतेय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से परिषद् कार्यालय, राँची, क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका तथा प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर में **दिनांक 21.06.2019 संध्या 5:00 बजे** तक किसी भी कार्य दिवस में अवश्य जमा करेंगे। आवेदन के साथ छात्र/छात्रा का अंक पत्र की छायाप्रति एवं प्रवेश पत्र की छायाप्रति निश्चित रूप से संलग्न करेंगे।

i) स्क्रुटनी में मात्र निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जायेगा:–
   - (क) यदि अंदर के पृष्ठों में आवंटित अंक मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है, तो उसे मुख्य पृष्ठ पर अंकित करते हुए योग में सुधार किया जायेगा।
   - (ख) अगर कोई प्रश्नोत्तर बिना मूल्यांकन के रह गया है तो उसका मूल्यांकन किया जायेगा।
   - (ग) अंकों का योग अगर सही नहीं है तब उसमें सुधार किया जायेगा।
   - (घ) स्क्रुटनी के लिए आवेदन देनेवाले छात्रों को स्पष्ट किया जाता है कि स्क्रुटनी के तहत मूल्यांकित प्रश्नोत्तर का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

ii) निर्धारित तिथि को 5:00 बजे अपराह्न के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही बिना शुल्क के अथवा बिना विद्यालय/महाविद्यालय प्रधान के अग्रसारण एवं अनुशंसा के स्क्रुटनी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

iii) निर्धारित तिथि के बाद अथवा डाक द्वारा भेजा गया स्क्रुटनी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./- (महीप कुमार सिंह)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/मा.गो./5382/10/SECY/283/19
Dt. 24.05.2019
D.O.P. 25.05.2019